

इंटरनेट पर देखें
www.dainikdawa.com

संस्कारधानी से प्रकाशित मध्यभारत व
छत्तीसगढ़ अंचल का सर्वप्रसारित
लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्र

भारत सरकार व
छत्तीसगढ़ शासन से
विज्ञापन के लिए अधिकृत

वर्ष - 45

अंक - 239

राजनांदगांव, शुक्रवार 17 जुलाई 2026

पृष्ठ - 8

मूल्य - 4.00 रुपए

दैनिक प्रातः संस्करण

“खो आत्मानं धेति, खरौ स खेति”

आर.एन.आई.नं. 58841/93
डाक पंजीयन छ.ग./दुर्गा/14/2024-26

दावा

सम्पादक - दीपक भाई बुद्धदेव

स्वस्तिक ऑफसेट & स्क्रीन प्रिंट

उत्कृष्ट एवं कलात्मक छपाई हेतु...

पता : बल्देव बाग, राजनांदगांव मो. 93004-14726

ईज ऑफ इडिंग बिजनेस विधेयक-2026 पारित: जोखिम आधारित परमिशन व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा छत्तीसगढ़

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने उद्योग और कारोबार को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आज छत्तीसगढ़ ईज ऑफ इडिंग बिजनेस विधेयक, 2026 पारित कर दिया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए जोखिम आधारित (रिस्क बेस्ड) एवं विश्वास आधारित (ट्रस्ट बेस्ड) बिजनेस परमिशन सिस्टम लागू होगा।

व्यावसायिक वातावरण तैयार करना है विधेयक का उद्देश्य

इस विधेयक का उद्देश्य उद्योगों एवं कारोबार की स्थापना और संचालन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनावश्यक अनुपालनों को कम करना तथा विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अधिक पारदर्शी, तेज और उद्यम-अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तैयार करना है। विधेयक के तहत उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण उनके आकार और गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर विभिन्न जोखिम



श्रेणियों में किया जाएगा। कम जोखिम वाले छोटे कारोबारों को सरल एवं त्वरित मंजूरी मिलेगी, जबकि अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए आवश्यक तकनीकी परीक्षण और समयबद्ध स्वीकृति की व्यवस्था पूर्ववत् जारी रहेगी। इससे छोटे कारोबारियों को बड़े उद्योगों जैसी जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा।

बार-बार के विभागीय निरीक्षणों से मिलेगी मुक्ति

नई व्यवस्था के अंतर्गत कम जोखिम वाले उद्यमों में बार-बार होने वाले विभागीय निरीक्षणों के स्थान पर सेल्फ

सर्टिफिकेशन अथवा लाइसेंसधारी अभियंता, आर्किटेक्ट या अन्य अधिकृत पेशेवरों द्वारा प्रमाणन की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे अनुमतियों की प्रक्रिया तेज, सरल और अधिक जवाबदेह बनेगी। विधेयक के तहत हर वर्ष लाइसेंस या अनुमति के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली लागू की जाएगी। इससे उद्यमियों को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत मिलेगी और वे अपने कारोबार के विस्तार एवं संचालन पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।

विधेयक में राज्य के 8 विभागों की 43 सेवाएं शामिल

एमएसएमई इकाइयों के लिए जल प्रदाय संबंधी अनुमति स्व-घोषणा के आधार पर, सोसायटी अथवा फर्म का पंजीयन समयबद्ध प्रक्रिया से तथा भवन अनुज्ञा स्वरूप सर्टिफिकेशन अथवा अधिकृत विशेषज्ञ के प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान की जा सकेगी। निर्धारित समय-सीमा में संबंधित विभाग द्वारा निर्णय नहीं लेने की स्थिति में पात्र मामलों में अनुमति स्वतः स्वीकृत (ऑटो अफ़ुवल) मानी जाएगी। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

पुरी रथ यात्रा में भारी भीड़ से भगदड़ जैसी स्थिति, दो की मौत, कई श्रद्धालु अस्पताल में भर्ती

पुरी। ओडिशा के पुरी में गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस घटना में कई श्रद्धालु घायल हो गए। दो श्रद्धालु की मौत की भी खबर है।

जमा हुए हैं लाखों श्रद्धालु

यह घटना बड़ा डांडा (ग्रेंड रोड) पर हुई, जहां भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ खींचने के कार्यक्रम को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु जमा हुए थे।

बचाव अभियान शुरू किया गया

आपातकालीन बचाव दलों ने घायलों को तुरंत बाहर निकाला और पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस, दमकल विभाग और स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत बचाव और भीड़ को नियंत्रित करने का अभियान शुरू किया, ताकि स्थिति सामान्य की जा सके। पुरी में घटनास्थल पर मौजूद एक श्रद्धालु ने बताया कि

मरीचि कुंड चौक के पास या तो बाहरी घेरे की रस्सी की बैरिकेड गिर गई या कुछ लोग अपना संतुलन खो

बैठे और सड़क पर गिर गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग 40 से 50 लोगों को एक-दूसरे के ऊपर गिरते देखा, जिससे कई श्रद्धालु घायल हो गए और चार से पांच को गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने लगभग 20 लोगों को बचाया

और उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, और अब उन्हें पता चला है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके अलावा, सूत्रों ने यह भी दावा किया कि गुरुवार को श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ और लगातार बारिश के बीच घुटन और विभिन्न चोटों की शिकायत करने वाले लगभग 200 मरीजों को अब तक पुरी के अस्पतालों और अस्थायी स्वास्थ्य सुविधाओं में भर्ती कराया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस घटना में हुई मौत पर गहरा दुःख जताया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को बेहतर (शेष पृष्ठ 6 पर...)

परिसीमन विधेयक: खरगे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सरकार परिसीमन से जुड़े एक नए संविधान संशोधन विधेयक को दोबारा पेश करने की योजना बना रही है। खरगे ने प्रधानमंत्री से इस संशोधित प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है। उन्होंने मांग की है कि संसद में इस विधेयक को पेश करने से पहले सभी विपक्षी दलों को इसके अध्ययन के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।

पहले भी की गई थी बैठक की मांग

खरगे ने अपने पत्र में बताया कि उन्होंने मार्च और अप्रैल के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजौजू को भी पत्र लिखे थे।

उन्होंने केंद्र सरकार से परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। हालांकि, सरकार ने इन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहा था। यह विधेयक स्पष्ट अंतर से गिर गया था।

मानसून सत्र में नया विधेयक लाने की तैयारी

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में संशोधित (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 को दोबारा पेश करने की तैयारी कर रही है। सरकार महिला आरक्षण (शेष पृष्ठ 6 पर...)

महादेव बेटिंग ऐप मामले: टीवी होस्ट शेफाली बग्गा से ईडी की पूछताछ, अवैध सट्टेबाजी के प्रमोशन के आरोप



नई दिल्ली। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टीवी होस्ट शेफाली बग्गा से गुरुवार को कई घंटे तक पूछताछ की। शेफाली बग्गा से ये पूछताछ रायपुर जौनल ऑफिस में की गई, सूत्रों के मुताबिक, शेफाली बग्गा को पहले भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुई थीं। अब ईडी उनसे इस मामले में विस्तार से पूछताछ कर रही है। ईडी की जांच के मुताबिक, शेफाली बग्गा का नाम महादेव ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क से जुड़े कारोबारी खंजन जगदीश कुमार ठक्कर के साथ सामने आया है। जांच एजेंसी का दावा है कि खंजन ठक्कर भारत में

कथित तौर पर बेटिंग ऐप का प्रचार करती हुई दिखाई दे रही हैं। एजेंसी का दावा है कि वह सिर्फ इन ऐप का प्रचार ही नहीं करती थीं, बल्कि खिलाड़ियों को बेटिंग से जुड़े टिप्स भी देती थीं। ईडी का यह भी कहना है कि शेफाली बग्गा का एक टेलीग्राम चैनल है, जहां कथित तौर पर अवैध बेटिंग ऐप के प्रमोशन और बेटिंग से जुड़े टिप्स साझा किए जाते थे। ईडी अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि इन गतिविधियों के बढ़ने उन्हें कोई आर्थिक लाभ मिला था या नहीं और इस पूरे नेटवर्क में उनकी भूमिका क्या थी। सूत्रों के मुताबिक, इसी मामले में ईडी पहले विकास गर्ग को भी गिरफ्तार कर चुकी है। अब (शेष पृष्ठ 6 पर...)

9 किलो वजन घटा, पर नहीं घटी हिम्मत... जंतर-मंतर पर दलती सेहत के साथ जंग लड़ रहे सोनम वांगचुक

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल बृहस्पतिवार को 19वें दिन भी जारी रही। भूख हड़ताल से उनका वजन नौ किलो से अधिक कम हो गया।

चिकित्सकों ने आशंका जताई है कि भूखे रहने पर उनके अंगों पर बुरा असर पड़ना शुरू हो सकता है। इस बीच, उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से 20 जुलाई को कांकोर जन्मा पार्टी (सीजीपी) के प्रस्तावित संसद मार्च को मजबूत करने की अपील की है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, सपा सांसद डीपल यादव व धर्मदेव यादव समेत, किसान नेता राकेश

टिकैत समेत कई सांसद व विधायक तथा सामाजिक कार्यकर्ता समर्थन देने पहुंचे।

कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को जान कीमती

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक्विविस्ट सोमम वांगचुक की सेहत से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की, जो जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक की जान कीमती है और सरकार को उसकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सोमम वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच होती है और उनकी सेहत के बारे में जानकारी नियमित रूप से दी जाती है। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

गगनयान मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़ा: 10 महीने में 100 इस्तीफे; केंद्रीय मंत्री बोले- लोग आते-जाते रहते हैं



बेंगलुरु। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) से पिछले 10 महीनों में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों ने या तो इस्तीफा दे दिया है या स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। नौकरा छोड़ने वाले वैज्ञानिकों में गगनयान और दूसरे अहम मिशनों से जुड़े वैज्ञानिक भी शामिल हैं।

इसके बाद अंतरिक्ष विभाग ने 14 जुलाई को नया निर्देश जारी किए। नौकरा छोड़ने की प्रक्रिया अब सख्त की जाएगी। इस मामले में केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो में लोग आते-जाते रहते हैं। इस्तीफा देने वालों में वरिष्ठ वैज्ञानिक विक्टर जोसेफ टी भी शामिल हैं। वे LVM3 प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सभाल रहे थे। यही लॉन्च व्हीकल गगनयान मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा।

इस्तीफे पर अंतिम फैसला अंतरिक्ष विभाग करेगा

सरकारी निर्देश में कहा गया है कि इस्तीफों और VRS के मामलों में तेजी आने से गगनयान और दूसरे राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ रहा है। नौकरा छोड़ने के आवेदनों पर अब अंतिम फैसला अंतरिक्ष विभाग करेगा।

पहले इसरो केंद्रों के निदेशकों और प्रमुखों को इस्तीफे और VRS स्वीकार करने का अधिकार दिया गया था।

स्टार्टअप में जा रहे वैज्ञानिक

रिपोर्ट के मुताबिक, इसरो छोड़ने वाले कुछ वैज्ञानिक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप से जुड़ गए हैं। 2020 में केंद्र सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने और 2023 में भारतीय अंतरिक्ष नीति लागू होने के बाद इस क्षेत्र में तेजी से स्टार्टअप बढ़े हैं। फिलहाल देश में 400 से ज्यादा पंजीकृत स्पेस स्टार्टअप हैं। इनमें करीब 500 मिलियन डॉलर का निवेश आया है। पिक्सेल, ध्रुवा स्पेस, स्काईस्ट एयरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मॉस और बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में आगे हैं। इस बीच इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉ. सोमनाथ एस, चेन्नई की स्पेस स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मॉस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुए हैं। सोमनाथ चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग और भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य-L1 की लॉन्च शामिल थे। इस्तीफों से इसरो को हाल के मिशनों में भी चुनौतियों का सामना करना (शेष पृष्ठ 6 पर...)

ममता बनर्जी को बड़ा झटका: टीएमसी सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा

कोलकाता। टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। अभिनेत्री से नेता बनी कोयल मलिक ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वे ऐसा करने वाली चौथी टीएमसी सांसद हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तुर्णमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को अभिनेत्री से नेता बनी कोयल मलिक ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के भीतर चल रही आंतरिक उत्पटक के बीच यह टीएमसी के लिए एक और बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है।

कोयल मलिक ने राज्यसभा के सभापति सीपी राधकृष्णन को अपना औपचारिक त्यागपत्र सौंपा। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, मैं



एतद्वारा राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देती हूँ, जिसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाए। मैं राज्यसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों और माननीय उप सभापति का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मेरे कार्यकाल के दौरान मुझे सहयोग प्रदान किया। कोयल मलिक के इस्तीफे के साथ ही वह राज्यसभा छोड़ने वाली टीएमसी

की चौथी सांसद बन गई हैं। उनसे पहले सुमिता देव, सुखेंद्र शेखर राय और प्रकाश चिक् बड़ाईक भी उच्च सदन से इस्तीफा दे चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक, अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान कोयल मलिक ने राज्यसभा की एक भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने 6 अप्रैल को दिल्ली में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी। इस्तीफा देने के तुरंत बाद कोयल मलिक की केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को जन्म दे दिया है। हालांकि, कोयल मलिक या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से उनके किसी नई पार्टी में शामिल होने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं की गई है।

वाहन खराब होने पर उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को दिया ग्राहक को नई कार देने का आदेश

नई दिल्ली। देश में ग्रीन फ्यूल के तौर पर प्रमोट किए जा रहे ई-20 (20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल को लेकर चल रही बड़ी बहस के बीच छत्तीसगढ़ से एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसला सामने आया है। रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (अतिरिक्त पीठ) ने वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके डीलर को एक ग्राहक की ग्रेड विटारा स्ट्रॉंग हाइब्रिड कार को बदलकर उसी मॉडल का नया ई-20 कंपैटिबल (अनुकूल) वाहन देने का कड़ा आदेश जारी किया है। उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में कंपनी और डीलर दोनों को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना है। 14 जुलाई 2026 को आया यह ऐतिहासिक फैसला देश में इथेनॉल मिश्रित ईंधन के उपयोग और वाहन निर्माताओं द्वारा पारदर्शिता बरतने की अनिवार्यता पर एक बड़ा कानूनी संदेश देता है।



यह है ई-20 ईंधन से जुड़ा यह पूरा विवाद?

यह मामला रायपुर के रहने वाले 41 वर्षीय किडनी रोग विशेषज्ञ (नेफ्रोलॉजिस्ट) डॉ. प्रेमराज देवता से जुड़ा है। डॉ. देवता ने 3 जून 2024 को मारुति सुजुकी की ग्रेड विटारा स्ट्रॉंग हाइब्रिड जेटा प्लस कार 18,29,000 रुपये में खरीदी थी। शिकायत के मुताबिक, कार खरीदने के समय उन्हें यह बिल्कुल नहीं बताया गया था कि यह गाड़ी व्यापक रूप से उपलब्ध ई-20 इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के पूर्ण अनुकूल नहीं है। बाद में पता चला कि जो गाड़ी

उन्हें नई बताकर जून 2024 में बेची गई थी, वह वास्तव में जनवरी 2023 में निर्मित की गई थी- यानी बिजली से लगभग 17 महीने पहले। कार करीब 21,913 किलोमीटर तक बिना किसी परेशानी के चली, लेकिन नवंबर 2024 में इसके डैशबोर्ड पर अचानक इंजन का चेक लाइट चमकने लगा। इसके बाद बार-बार डीलर के वर्कशॉप जाने, फ्यूल टैंक साफ कराने और स्पेयर पार्ट्स बदलने के बाद भी कार लगातार खराब होती रही। थक-हारकर ग्राहक ने कंपनी और रायपुर के नेक्सा मैनेटो (स्काई ऑटो मोबाइल) डीलर के खिलाफ आयोग का दरवाजा खटखटाया। इस बीच, मार्च 2025 से ग्राहक को एक वैकल्पिक कार (लोनर वाहन) दी गई थी, जबकि उनकी अपनी गाड़ी डीलरशिप पर ही खड़ी रही। फोरम के समक्ष मारुति सुजुकी और डीलर ने शिकायत का कड़ा विरोध किया। उनके वकीलों ने दलील दी कि गाड़ी के (शेष पृष्ठ 6 पर...)

पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा कदम, होर्मुज मार्ग पर भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक



नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी भारी भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर बढ़ते सैन्य खतरों के बीच भारत सरकार ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा नीतिगत निर्णय लिया है। नौवहन क्षेत्र की शीर्ष नियामक संस्था, महानिदेशालय समुद्री प्रशासन (डीजीएमए) ने एक आपातकालीन एडवाइजरी जारी करते हुए सभी जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधन कंपनियों और चालक दल की भर्ती करने वाली एजेंसियों को साख्त निर्देश दिए हैं।

इन निर्देशों के तहत अगले आधिकारिक आदेश तक फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाले सबसे संवेदनशील होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले किसी भी व्यावसायिक पोत या मालवाहक जहाज पर भारतीय नाविकों की तैनाती पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। महानिदेशालय द्वारा जारी इस आधिकारिक सुरक्षा गाइडलाइन में फारस की खाड़ी, होर्मुज जलसंधि और उसके आसपास के

पूरे प्रभावित समुद्री क्षेत्र में संचालित होने वाले सभी जहाजों के कप्तानों को बेहद सतर्क रहने को कहा गया है। डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि जहाजों के संचालन के दौरान अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी की जाने वाली तात्कालिक नेविगेशन चेतावनियों और सुरक्षा अपडेट पर चौबीसों घंटे पैनी नज़र रखी जाए। इसके साथ ही, किसी भी संभावित आपातकालीन स्थिति या हमले से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय

पोत एवं बंदराह सुरक्षा कोड के तहत निर्धारित सभी कड़े सुरक्षा मानकों और रक्षात्मक उपायों को तत्काल प्रभाव से पोटों पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार का यह सख्त कदम हाल ही में खाड़ी क्षेत्र में एमटी अल बहिहाय और एमटी मोम्बासा नाम के दो बड़े वाणिज्यिक जहाजों पर हुए घातक मिसाइल व ड्रोन हमलों की पृष्ठभूमि में आया है। इन दोनों प्रभावित जहाजों पर कुल 46 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें से 30 चालक दल के सदस्य भारतीय नागरिक थे। (शेष पृष्ठ 6 पर...)

NEET UG 2026 का रिजल्ट घोषित, 11.21 लाख छात्र बालिपाई

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट-यूजी 2026 की री-एग्जाम के परिणाम और फाइनल आंसर की जारी कर दी है। घोषित की गई फाइनल आंसर की के अनुसार, एक प्रश्न को हटा दिया गया है। 20 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए री-नीट यूजी 2026 के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं।

स्कोरकार्ड कैसे चेक करें

21 जून की री-नीट यूजी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक

वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं। परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लिकेशन नंबर और

पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। इस बीच, एजेंसी ने 3 मई की परीक्षा के शुल्क रिफंड के लिए बैंक खाते का विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। 3 मई की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार परीक्षा शुल्क वापस पाने के लिए NTA द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से अपने बैंक खाते का विवरण (शेष पृष्ठ 6 पर...)

